



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:- 2024 / 558

दर्ज तिथि:-23.12.2024

1. करनाराम पुत्र तुलसाराम
2. गंगाराम पुत्र लालाराम
जाति जाट निवासी जाटों की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील
गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. ओमप्रकाश पुत्र सोनाराम
3. बाबूराम पुत्र सालूराम
4. रामाराम पुत्र सालूराम
5. वीरादेवी पत्नी सालूराम
6. श्रवण पुत्र सोनाराम
7. हितेश पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी जाटों की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील
गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:-स्वयं

अप्रार्थीगण:-एकतरफा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-131,136

राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956

-:निर्णय:-


निर्णय तिथि:-18.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 552/1/6.4750 है0 मौजा जाटों की ढाणी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान




तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के पडोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 552/6.5488 है। मौजा जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी का मूल खसरा एक 552 मौजा जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी ही था। भू-पैमाईश के पश्चात् प्रार्थी का उक्त खातेदारी खसरा अलग हुआ। प्रार्थी के अपने खातेदारी खेत पर कब्जा निर्बाध रूप से चल रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा संख्या 552/1 की तरमीम भू-प्रबंधन के दौरान ऑनलाईन तरमीम करते वक्त लट्ठा ट्रेस से भिन्न व गलत तरमीम ऑनलाईन राजस्व नक्शा में अंकित कर दी गई। जिससे प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के मौका व ऑनलाईन भू-नक्शा में भिन्नता आ गई। इस हेतु प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर हाजा न्यायालय में तरमीम दुरुस्ती हेतु आवेदन पेश करने की सलाह पर प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार रिपोर्ट एवं भू-प्रबंधन के लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण की आराजी की तरमीम दुरुस्त कर रिकॉर्ड दुरुस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए. /2025/441 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट एवं भू-प्रबंधन के लट्ठा ट्रेस के आधार पर दुरुस्त कर रिकॉर्ड दुरुस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार है:-




5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 552/1 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 552 मौजा जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरुस्त करवाने हेतु नक्शा लट्ठा ट्रेस प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के नक्शा लट्ठा ट्रेस का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-



6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के नक्शा लट्ठा ट्रेस के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/441 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त

तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/441 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-



7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/441 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:-

- ग्राम जाटों की ढाणी के खसरा संख्या 552, 552/1 के बीच की तरमीम लट्ठा ट्रेस व वर्तमान भू-नक्शा में तरमीम में भिन्नता है। वर्तमान भू-नक्शा में की गई तरमीम लट्ठा ट्रेस से भिन्न होने से गलत है। जबकि मौका कब्जा अनुसार ही मौके पर बाड़ भी लट्ठा ट्रेस

तरमीम अनुसार ही है। वक्त सेग्रीगेशन समय भू-नक्शा में तरमीम गलत हुई है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/441 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 552/1 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 552 मौजा जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा, नक्शा लट्ठा ट्रेस व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की आराजी की तरमीम ऑनलाईन भू-नक्शा में लट्ठा ट्रेस से भिन्न अंकित होना स्पष्ट है। साथ ही प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा 552/1/6.4750 है0 मौजा जाटों की ढाणी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे एवं लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम के अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/441 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/441 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुडामालानी-बाड़मेर